# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 10 / 2019 / बाड़मेर**

**अपीलांट** **रेस्पोडेंटगण**

1. भगवानाराम पुत्र पांचाराम जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी लखवारा चौहटन जिला बाड़मेर।

**बनाम**

1.वागाराम पुत्र वालाराम जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 67 / 2016 बअनवान वागाराम बनाम भगवाना वगै. निर्णय दिनांक 21.01.2019।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट की ओर से ।

## निर्णय

**दिनांकः— 22.04.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा प्रतापगढ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 54, 106, 122, 196, 203/1, 203/2 रकबा क्रमशः 28.06 बीघा, 06.15 बीघा, 05.03 बीघा, 13.07 बीघा, 01.12 बीघा, 09.00 बीघा तथा मौजा सिंधासवा हरनियान में खसरा संख्या 150 व 354 रकबा क्रमशः 21.16 बीघा व 09.08 बीघा का आया हुआ है जिसमें रेस्पोडेंट/वादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा, अपीलांट/प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार मौके पर बाहामी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है तथा मौके पर काबिज है इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर अपीलांट की बिना जानकारी व बिना सूचना के ही विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित दिनांक 25.11.2017 को तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.02.2018 को प्रस्तुत किया

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर



Scanned by CamScanner

गया, जिस पर अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करते हुए एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव को निरस्त करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने 23.03.2018 को पुनः विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर दुबारा भी तहसीलदार ने मौके पर न जाकर आर आई व हल्का पटवारी ने दिनांक **30.03.2018** को पूर्व में तैयार विभाजन के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया जो दिनांक 01.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में दुबारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा अधिवक्ता पुनः मंगवाये विभाजन प्रस्ताव पर भी **आपत्ति पेश** की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार स्वयं से पुनः विभाजन प्रस्ताव नहीं मंगवाया जाकर एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए दिनांक 21.01.2019 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया है तथा अपीलांट को मौके पर स्थित कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है जिस कारण अपीलांट व उनके पुत्र की ढाणी, चारावाडे व पानी के टांके आदि उतरदाता के हिस्से में चले गये है जिससे साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की मंशा के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलांट को मौके पर स्थित कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है जिस कारण अपीलांट व उनके पुत्र की ढाणी, चारावाडे व पानी के टांके आदि उतरदाता के हिस्से में चले गये है। समस्त खसरों मे समान रूप से वादग्रस्त आराजी का बंटवारा नहीं किया गया है यह बंटवारा By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने आपति के मद्देनजर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये। अंतिमत और तीसरी बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 21.01.2019 को अंतिम डिक्री जारी की गई। इस विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द (दिनांक 10.01.2019) का भी अवलोकन किया जिसमें प्रतापगढ़ के खसरा संख्या 122 व 196 के अलावा शेष खसरों में पूर्व में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की जानी प्रतिवेदित है। अपीलांट भगवानाराम बार–बार आपति एवं सहमति का इजहार कर हर बार कोई नया विवाद पैदा कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की मंशा रखता है। आपति वाले उक्त दोनों खसरों का विभाजन प्रस्ताव भी दोनों खसरों का तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भलीभांति निरीक्षण करने के पश्चात विभाजन प्रस्ताव में पक्के मकान/आवास तक को इंगित किया जाकर तदनुसार भूमि की एक समान गुणवता एवं कब्जे काश्त के मद्देनजर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। मौका फर्द दिनांक 10.01.2019 के संलग्न तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर युक्त रंगीन नक्शा दिनांक 10.01.2019 में मौजा प्रतापगढ़ के **खसरा संख्या 196 में 'C' स्थान से इंगित अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेंट के रास्ते में अवरोध पैदा करने के मकसद से तत्काल निर्माण कर अस्थाई ढांचा खड़ा किया गया है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 67/2016 बअनवान वागाराम बनाम भगवाना वगै. निर्णय दिनांक 21.01.2019 को यथावत रखा जाता है।

22/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner